

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-३, नरेगा)



क्रमांक एफ 40(18) ग्रावि/नरेगा/तक.प्रक./पार्ट-II/2010

जयपुर, दिनांक:

4 MAY 201

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,
समस्त राजस्थान।

विषय : महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत गांवों की आन्तरिक सड़कों के निर्माण बाबत।

प्रसंग : विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 24.01.2012 एवं 02.02.2012 एवं भारत सरकार का पत्रांक जे-11060/1/2011 – एमजीनरेगा – 1 दिनांक 24.04.2012

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र दिनांक 24.01.2012 द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत प्रिकास्ट इन्टरलोकिंग सीमेन्ट कंक्रीट ब्लॉक/टाईल्स के माध्यम से बनाई जाने वाली गांवों की आन्तरिक सड़कों के निर्माण हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश भारत सरकार के पत्र दिनांक 18.10.2011 एवं 06.01.2012 के क्रम में जारी किये गये थे। विभागीय पत्र दिनांक 02.02.2012 द्वारा उक्त आन्तरिक सड़कों की अधिकतम चौड़ाई 3.75 मीटर के स्थान पर अधिकतम चौड़ाई 2.50 मीटर रखे जाने के निर्देश दिये गये।

विभाग द्वारा गांवों की आन्तरिक सड़कों की चौड़ाई बढ़ाने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया गया। अब भारत सरकार ने पत्र दिनांक 24.04.2012 (प्रति संलग्न) द्वारा परिपत्र क्रमांक जे- 11060/1/2011–एमजीनरेगा–1 दिनांक 18.10.2011 के पैरा सं. (viii) (C) को निम्नानुसार संशोधित किया है :—

"The width of such internal roads taken up under MGNREGA should not be more than 3.0 meters." All other provisions of the circular dated 18th October, 2011 and the amendment communicated vide circular dated 6th January, 2012 will remain the same.

अतः उपरोक्तानुसार विभाग द्वारा जारी पत्र दिनांक 02.02.2012 में संशोधन कर निर्देश दिये जाते हैं कि गांवों की आन्तरिक सड़कों की चौड़ाई 2.50 मीटर के स्थान पर अब अधिकतम 3.00 मीटर तक रखी जा सकती है। विभागीय पत्र दिनांक 24.01.2012 द्वारा जारी अन्य निर्देश यथावत रहेंगे। कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करावें।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(अभय कुमार)

आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस

PTO

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस।
4. अति. आयुक्त (प्रथम / द्वितीय), ईजीएस, जयपुर।
5. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक (प्रथम / द्वितीय), ईजीएस, जिला परिषद् समस्त को प्रेषित कर लेख है कि इस परिपत्र की प्रति श्रीमान् जिला प्रमुख, सभी प्रधानगण, सभी विकास अधिकारी, एवं सभी सरपंचगण को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
6. मुख्य लेखाधिकारी, ईजीएस, जयपुर।
7. अधिशाषी अभियन्ता, जिला परिषद्, समस्त।

अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम), ईजीएस

No. J-11060/1/2011-MGNREGA-1
Government of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
(MGNREGA Division-VI)

Krishi Bhawan, New Delhi
Dated 24th April, 2012

CIRCULAR

D. No. 4188 ACSRD & PR 2011
Date 3.9. - 4.7.2

Subject: Width of Village internal roads under MGNREGA.

Ref: Circular No.J-11060/1/2011-MGNREGA-1 dated 18th October, 2011.

Vide circular referred above, the width of village internal roads which could be taken up under MGNREGA was restricted to 2.5 meters. Request letters have been received in the Ministry to relax this condition. After careful consideration of the matter, it has been decided that road width up to 3.00 meters only may be constructed under MGNREGA using stone/ brick or cement concrete or cement concrete interlocking blocks.

The following amendment is, therefore, being issued to the circular referred to above.

Para (viii) (c) of the circular referred to above may be read as under:

"The width of such internal roads taken up under MGNREGA should not be more than 3.0 meters".

All other provisions of the circular dated 18th October, 2011 and the amendment communicated vide circular dated 6th January, 2012 will remain the same.


(Vijay Aind)

(Vijay Wadhwani)

Under Secretary to the Government of India

To

Principal Secretary/ Secretary of all State Rural Development Department.